न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़, चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

03/2022

दिनांक— 23/05/25

1. पुष्पसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवारी ग्राम गुलेरिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. पवन कुमार पुत्र मदनलाल जाति माली निवारी हनुमान धोरा सुजानगढ
3. निर्मल पुत्र जसकरण माली जाति माली निवारी वार्ड नं. 09, चान्द बास सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

अपीलार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत लोढसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू जरिये सरपंच

प्रत्यार्थी

उपस्थित :—

1. श्री निर्मल सिंगोदिया एडवोकेट अपीलांट।
2. श्री बजरंग सिंह एडवोकेट रेस्पोडेन्ट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि खेत खसरा संख्या 937/11, 939/334 व 987/12 वाके रोही ग्राम मींगना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में संयुक्त खोतदार मंजुदेवी पुत्री हरदेवी व रामप्यारी पुत्री प्रेमसुख के नाम से चली आ रही थी। जो खातेदार मंजुदेवी पुत्री हरदेवी व रामप्यारी पुत्री प्रेमसुख ने दिनाक 28.07.2022 को जरिये मुख्तारनामा कार्यालय ऐडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ एस्सुरेन्स, प्रथम, कोलकाता से पंजीकृत के आधार पर मुख्तारआम विक्रमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ नियुक्त किया गया था। अपीलाण्टगण के द्वारा दिनांक 31.08.2022 को मुख्तारआम विक्रमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रापजूत निवासी ग्राम ठरड़ा तह० सुजानगढ़ से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र उप पंजीयक कार्यालय सालासर से पंजीकृत के आधार उपरोक्त समस्त खसरान का सम्पूर्ण हिस्सा खेत खरीद शुदा स्थित है तब से अपीलाण्टगण का खेत खसरा नं० 937/11, 939/334 व 987/12 वाके रोही ग्राम मिंगना खरीद के दिन से ही कब्जा उपयोग उपभोग में चले आ रहा है। अपीलाण्टगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2022 के आधार पर उपरोक्त खेत खसरान की खेतों को खातेदारी में नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये एक प्रार्थनापत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय सालासर के समक्ष दिनांक 15.09.2022 को पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत लोढसर के हल्का पटवारी गोवर्धनसिंह व ग्राम पंचायत लोढसर के संरपच कन्हैयालाल शर्मा ने अपीलाण्टगण से रंजिश होने के कारण पटवारी से मिलिभगतकर झुठा उक्त खेतों को विवादित दिखाकर इस आशय का नोट लगाते हुये नामान्तरण खारिज कर दिया कि उक्त खेत विवादित है। जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट यह अपील कर रहा है। यह कि दिनांक 08.09.2022 को अपीलाण्ट सं० 01 के द्वारा खेत खसरा नं 937/11, 939/334 व 987/12 वाके रोही ग्राम मिंगना में हुयी चौरी बाबत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि मैं पुष्प सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी गुलेरिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का हूं। मेरी ग्राम मींगणा तहसील सुजानगढ़ के खसरा संख्या 937/11 रकबा 0.2066 हैक्टेयर व खसरा संख्याखसरा नं. 939/334 रकबा 1.9022 हैक्टेयर व खसरा नं. 987/12 रकबा 0.1639 हैक्टेयर कुल तादादी 2.2727 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 31.08.2022 को कय शुदा भूमि स्थित है जिस पर मेरा कब्जा उप उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि मेरे द्वारा खरीद किये जाने पर गोविन्द पुत्र भोमसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बोबासर भोम तहसील सुजानगढ जि... चूरू, जितेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु, महावीरसिंह पुत्र रुघसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चुरु, बुधसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भिंगणा तहसील सुजानगढ जिला चुरु, सम्पतसिंह पुत्र नानुसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भिंगणा तहसील सुजानगढ जिला चुरु व कैलाशसिंह पुत्र नामालुम जाति राजपुत निवासी ग्राम मींगणा तहसील सुजानगढ मुझसे रंजिश रखने लगे। दिनांक 01.09.2022 को अर्जुनसिंह ने मुझे फोन किया व धमकाया कि तुमने उस जमीन को कैसे खरीदी उक्त जमीन को हम खरीदने वाले थे। वो जमीन हमारे नाम कर दो नहीं तो साले को जान से मार देगें। तब मैने उसको मना कर दिया व फोन काट दिया। 08.09.2022 को सुबह करीब 9:30 बजे अपनी मैं अपनी भूमि की सार संभाल करने के लिये भूमि पर गया, तब मैने देखा कि मेरी जमीन पर रुपी हुयी 5 पट्टियां व लोहे के तार नहीं मिले तब मैने आस पास के लोगों से पुछताछ की तब मुकेश पारीक पुत्र हंसराज जाति शर्मा निवासी सुजानगढ ने बताया कि दिनांक 07.08.2022 को रात करीब 9:30 बजे मैं बोबासर से सुजानगढ अपनी मोटरसाईकिल से जा रहा था तो मैने देखा कि आपकी जमीन से गोविन्दसिंह, जितेन्द्रसिंह, महावीरसिंह, बुधसिंह, सम्पतसिंह, कैलाशसिंह व दो तीन अन्य लोग पट्टियां व लोहे के तार ट्रेक्टर में डालकर ले जा

उपखण्ड अधिकारी

थे। इस प्रकार तमाम अभियुक्त ने मेरी भूमि से पांच पट्टियां व लोहे के तार ट्रेक्टर में डालकर चोरी करके ले गये जिस पर पुलिस थाना सदर सुजानगढ द्वारा एफआईआर नं. 111/2022 दर्ज कर जांच शुरु की। जिसकी जांच वर्तमान में लम्बित है। तब ग्राम पंचायत लोढसर के सरपंच ने अपीलाण्ट को कहा कि आपने जो मेरे पंचायत के लोगों पर मुकदमा करवाया है वो उठवा लो, क्योंकि ये लोग मेरी पंचायत के है तथा मुझे वोट देते है व मेरे सहयोगी है। तब अपीलाण्ट ने मना कर दिया कि इन्होने चोरी की है। तब प्रत्यर्थी ने अपीलाण्ट को ऐलानिया धमकियां दी कि आपने मुकदमा नहीं उठाया तो आपकी खरीदशुदा खेतों की खातेदारी आपके नाम नहीं चढने दूंगा व उस नामान्तरण खारिज कर दूंगा। यह कि प्रत्यर्थी का आदेश कानूनी दृष्टि से पूरी तरह गलत है। प्रत्यर्थी ने इस सम्बन्ध मे विधि की सही स्थिति को समझा ही नही और सुस्थापित न्यायिक सिद्धान्तों से बाहर जाकर व द्वैशता के कारण नामान्तरण को निरस्त किया है। इस कारण प्रत्यर्थी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रत्यर्थी का आदेश तथ्यात्मक दृष्टि से भी पूरी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व साम्रमी को ना तो सही पढा तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री विपरित अपील पारित किया हैं इस कारण भी प्रत्यर्थी का आदेश है। तरह गलत है प्रत्यर्थी ने ढंग से देखा है और नही जाकर अपना आदेश जैर अपास्त किये जाने योग्य है यह कि अपीलाण्टगण की उक्त खेत रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार कयशुद्वा है। खरीद के दिन ही मुख्तारआम विक्रमसिंह के द्वारा अपीलाण्टगण को उक्त तीनों खेत खसरा नं0 937/11, 939/334 व 987/12 वाके रोही ग्राम मिंगना का कब्जा सौंप दिया था। तब से अपीलाण्टगण का उक्त तीनों खेत खसरा नं० 937/11, 939/334 व 987/12 वाके रोही ग्राम भिंगना का शांतिपूर्वक कब्जा उपयोग उपभोग करते आ रहे है व खरीद से पूर्व उक्त खेतों के पूर्व खातेदारों के द्वारा उक्त भूमि का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा था। इस प्रकार उपरोक्त खेत पूर्णतः निर्विवादित है। अपीलाण्टगण का उपरोक्त खेतों पर शांतिपूर्वक कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। यह कि यदि उक्त खेत विवादित होते तो उक्त खेतों से संबधित किसी न किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज होता। यह कि उक्त खेतों से संबंधित वर्तमान समय तक कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया हुआ है। यदि किया हुआ होता तो उक्त खेंतों का विकयपत्र उपंपजीयक कार्यालय सालासर द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता। यह कि नामान्तरण निरस्त आदेश की नकल दिनांक 11.10.2022 को प्राप्त हुयी है इसलिये अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए।

वहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपील स्वीकार की जावे व नामान्तरण विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लोढ़सर के द्वारा दिनांक 06.10.2022 प्रस्ताव संख्या 03 नामान्तरण संख्या 1129 को अस्वीकार किये गये आदेश को निरस्त कर प्रत्यर्थी को आदेश दिया जावे कि उक्त भूमि का नामान्तरण अपीलाण्ट्स के नाम से दर्ज किया जावे।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने दोराने वहस कथन किया कि ग्राम पंचायत का निर्णय सही है। कानुनन कोई अनियमितता हो ऐसा कोई सवुत पेश नहीं किया है।

वहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात तथा प्रार्थना–पत्र का भलीभांती अवलोकन किया गया। चूंकि वादगत भूमि में अपीलाण्ट्स ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2022 द्वारा क्रय की है। अपीलाण्ट्स द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि का नामान्तरण को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था। भूमि खरीद करने के दिनांक से ही अपीलाण्ट्स का कब्जा है। अतः ग्राम पंचायत लोढ़सर ने वादगत भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 06.10.2022 नामान्तरण संख्या 1129 को अस्वीकार कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत लोढ़सर द्वारा वादगत भूमि खसरा संख्या 937/11, 939/334 व खसरा संख्या 987/12 रोही ग्राम मींगना तहसील सुजानगढ़ के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 06.10.2022 नामान्तरण संख्या 1129 को अस्वीकार कर दिया गया था, को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सुजानगढ़ को इस आदेश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वादगत नामान्तरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 23/05/25 को लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़